<u>न्यायालय, अवर न्यायाधीश बनमनखी (पूर्णियाँ)</u>

T.S- 14304 /2018

त्रिभुवन राय उर्फ वगदू एवं अन्य

बनाम

सूर्यप्रकाश सिंह एवं अन्य

16.08.2022 उभय पक्षों की ओर से हाजरी दी गई है।

उभय पक्षो की सुनवाई के पश्चात अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

वादी के विधिक उत्तराधिकारी अरविन्द राय द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक–24.02.2020 को वादी के द्वारा प्रचालित नही किया गया, वादी के द्वारा उक्त आवेदन पर Not Press लिखा गया। अतः वादी के आवेदन दिनांक–24.02.2020 को बिना गुण दोष के निष्पादित किया जाता है।

वादी की ओर से दिनांक–24.02.2020 आदेश–22 नियम–3 के अन्तर्गत एक आवेदन देकर निवेदन किया गया है कि वादी त्रिभुवन राय उर्फ वगदू की मृत्यु दिनांक–16.09. 2019 को हो गई। वादी त्रिभुवन राय उर्फ वगदू के तीन पुत्र एवं एक पुत्री जीवित है। वादी के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त दिनांक–24.02.2020 के आवेदन को स्वीकृत कर वादी त्रिभुवन राय उर्फ वगदू के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाने की अनुमति प्रदान की जाय।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा वादी के उक्त आवेदन पर कोई आपत्ति नही की गयी है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी की ओर से आदेश–22 नियम–3 के अन्तर्गत दिनांक–24.02.2020 के आवेदन पर प्रतिवादी के द्वारा कोई आपत्ति नही की गयी है। प्रतिवादी को मृतक त्रिभुवन राय उर्फ वगदू के विधिक वारिसान को इस वाद में प्रतिस्थापित करने में कोई आपत्ति नही है।

अतः वादी के दिनांक–24.02.2020 के आवेदन को न्यायहित में **स्वीकृत** किया जाता है।

वादी को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार वाद–पत्र में प्रतिस्थापन की कार्यवाही करे।

वाद दिनांक–15.09.2022 वास्ते उपस्थिति।

लेखापित

s/d

अवर न्यायाधीश